रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 1972/वैशाख 1, 1894
No. 216] NEW DELHI, FRIDAY APRIL 21, 1972/VAISAKHA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

**(Department of Labour and Employment)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 21st April 1972*

**S.O. 309(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 23rd day of April, 1972 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 whih have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Assam, namely:—

1. The area within the Jeypore Town in Jeypore Mauza in Dibrugarh District; and

2. The area within the revenue villages of;

Lebangkalagaon, Nagagaon, Faltotolagaon, Tatipathergaon and Taratali-gaon in Jeypore Mauza in Dibrugarh District.

[No F. S. 38013(25)/71-HI.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

## श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1972

**का० आ० 309(अ).**—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 23 अप्रैल, 1972 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहिले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

1. डिब्रूगढ़ जिले में जेय पौर मोजा में जेयपौर कस्बे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र; और
2. डिब्रूगढ़ जिले में जेयपार मोजा में लेबागकालागांव, नागागांव, फलटोटोलागांव, तातीपाथरगांव, और तरातीलगांव के राजस्व गांवों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र।

[संख्या फा० एस–38013 (25)/71 एच० आई०]

डी० एस० निमि, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972